न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 33/2013 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2013/00040

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मोतीसिंह पुत्र मांगुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बिठु, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत बिठु जरिये सरपंच 2. मृतक गुमानसिंह पुत्र भोजराजसिंह के विधिक वारिसान :– अ. भगवतसिंह पुत्र गुमानसिंह ब. आसुसिंह पुत्र गुमान सिंह स. शेरसिंह पुत्र गुमानसिंह, जातिगण राजपूत, निवासीगण पीलवा हाऊस महामंदिर, जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र मेवाड़ा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 9/4/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्ध अप्रार्थीगण के ग्राम पंचायत बिठू द्वारा तारीख 13.11.1963 को पट्टा संख्या 46 जो अप्रार्थी संख्या 2/अ से 2/स के पित स्व. गुमान सिंह पुत्र भोजराज सिंह के पक्ष में जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बीठू से जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया जाकर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि जैर निगरानी जैर आदेश पारित करने से पूर्व इसी भूमी का पट्टा बहादुर सिंह के पिता व छैल कंवर के पति उमराव सिंह पुत्र सुजानसिंह के नाम ग्राम पंचाायत बीठू द्वारा विधीवत प्रक्रिया अपना कर उनके पक्ष में जारी किया गया है उक्त पट्टे के पट्टा नंबर 48 है उक्त पट्टा आराजी को प्रार्थी मोतीसिंह द्वारा उमराव सिंह पुत्र सुजानसिंह के वारिसान से खरीद की गई है। जो नाप में 150 गुणा 150 कुल 22 हजार 500 वर्गफुट है। जैर निगरानी आराजी पर उमरावसिंह ने अपने जीवनकाल में पका कमरा बनवाया था जो आज भी मौजूद है। उक्त भूमी का उमरावसिंह के वारिसान द्वारा दिनांक 12.12.2012 रजिस्टर्ड बेचाण किया गया है। जैर निगरानी पट्टा बिना प्रस्ताव लिए ही जारी किया हुआ है क्योंकि ऐसा प्रस्ताव का पंचायत की प्रक्रिया संबंधी रजिस्टर में कही उल्लेख नहीं है। न ही ऐसा कोई आदेश दर्ज है। न ही मिसल दर्ज है न पट्टा संख्या दर्ज है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ ग्राम पंचायत से जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 13.11.1963 पूर्णतया अवैध व अनाधिकार पूर्ण है जिसे निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 256 के तहत न तो प्रार्थना पत्र पेश किया है न आवेदन शुल्क जमा कराया है नक्शा फीस जमा नहीं कराई गई है न ही तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका [illegible] किया गया है न आपत्ती इश्तिहार जारी किया गया है आपत्तियों [illegible] नहीं किया गया है न निलामी की उद्घोषणा ही जारी की गई [illegible] बिठू का निवासी ही नहीं है वह पीलवा ग्राम का जिला जोधपुर का निवासी है इस प्रकार ग्राम [illegible] निवासी नही होते हुए तथा विधिवत प्रक्रिया अपनाए बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टा संख्या 46 में हेराफेरी व कांटछांट की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:28:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................2

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 46 के सम्बन्ध में प्रस्ताव व मिसल की नकले मांगने पर दिनांक 08.09.2013 को यह लिखकर दे दिया कि ग्राम पंचायत में न तो मिसल दर्ज है न ही प्रस्ताव संख्या है न ऐसा कोई आदेश है न ही पट्टा संख्या ही दर्ज है जो पत्रावली संलग्न है इसी आधार पर निगरानी बिना प्रस्ताव के प्रस्तुत की जा रही है ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में पट्टा संख्या 48 दिनांक 13.11.1963 जारी करने के पश्चात उस पर दूसरा पट्टा संख्या 46 जारी किया है जो पट्टे पर पट्टा जारी किया जाने से पश्चातवृती जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 13.11.1963 निरस्त योग्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बिठू के आदेश दिनांक 13.11.1963 व पट्टा संख्या 46 जो अप्रार्थी संख्या 2 के पिता स्व. गुमानसिंह पुत्र भोजराजसिंह के नाम जारी किय गया उसे निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता गुमानसिंह अपने ग्राम बीठू में ही जीवन भर रहा अब उनके वारिसान जोधपुर रहते है। अप्रार्थीगण को पट्टा संख्या 46 जारी किया गया है तथा अप्रार्थीगण क्रय सुदा पट्टा संख्या 48 बाद में जारी किया गया है। दोनों एक ही दिवस को 13.11.2063 को जारी किए गए है। जो नम्बर से ही ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत मिसल कायम कर प्रक्रिया अपना कर एवं कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव पारित करते हुए जैर निगरानी आदेश प्रस्ताव एवं पट्टा जारी किया गया है जिसे यथावत रखाने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का भलीभाँति अवलोकन किया गया। इसमें निर्णय हेतु मुख्यतया दो विचारणीय बिन्दु है :-

1. पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है अथवा नहीं।
2. पट्टा जारी करते समय विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं।

प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 46 पहले जारी किया गया तथा 48 उसके बाद में तथा दोनों एक ही दिनांक को 13.11.1963 को जारी किए गए है ऐसी स्थिति में पट्टा संख्या 46 को पश्चातवृती पट्टा जारी होना नहीं माना जा सकता है। पट्टा संख्या 48 को पश्चातवृती माना जाना न्यायोचित है। अतः इस बिन्दु को साबित करने में निगरानीकर्ता असफल रहा है।

ग्राम पंचायत बिठू के प्रमाण पत्र अनुसार पट्टा रजिस्टर में दर्ज अनुसार प्रस्ताव दर्ज नहीं है इस सम्बन्ध में यह सही है कि पट्टे पट्टा बुक (रजिस्टर) में रहते है उनमें प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक दर्ज नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत बीठू के कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 95 पर दिनांक 11.11.1963 को प्रस्ताव लिया गया प्रस्ताव संख्या 1 में उल्लेख है कि 13.11.1963 को प्रार्थी गुमान सिंह पुत्र भोजराज सिंह बीठू का प्लॉट आबादी में निलाम करने हेतु वार्ड पंच व सरपंच मौके पर जाकर निलाम किया जावे और अन्तिम बोली वालों के आबादी में 150 गुणा 150 का प्लॉट दिया जावे उक्त प्लॉट के मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों 1 गिरधारीसिंह , 2 जगाराम 3 महिला चुन्नीदेवी को भेजा गया एवं निलामी खत्म होते ही रकम चूकती प्रार्थी के पास से वसूली की [illegible] प्रस्ताव पारित है तथा क्र.स. 96 दिनांक 11.12.1963 [illegible] अनुसार गुमानसिह पुत्र भोजराजसिंह के मकान (तलिया) [illegible] निरीक्षण की रिपोर्ट उपरोक्त तीन वार्ड पंचों द्वारा पेश करने के बाद आब[illegible] का तलिया किसी को ऐतराज नहीं होने पर पट्टा जारी किया जाने की राय सर्वसम्मति से पारित की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा विधी अनुरूप जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त

क्रमश....................3

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:28:38 IST
Reason: SelfAttested

निगरानीकर्ता ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाएं है जिससे साबित हो कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है।

मिसल उपलब्ध नही होने से अन्य बिन्दुओं पर विवेचन नहीं किया जा सका है तथा मिसल नहीं होने को पट्टे के निरस्तीकरण का आधार नहीं माना जा सकता है इस प्रकार बिना मिसल के अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टा बाबत उठाये गये ऐतराज आधारविहीन है जैर निगरानी पट्टा 1963 में जारी किया गया है हालांकि निगरानी में म्याद का प्रश्न नहीं है लेकिन 50 वर्षों बाद प्रश्नगत करना भी न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 46 दिनांक 13.11.1963 जो ग्राम पंचायत बिठू द्वारा गुमान सिंह पुत्र भोजराजसिंह के पक्ष में जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9-4-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:28:38 IST
Reason: SelfAttested